हुक्म या कार्यवाही

तारीख हुक्म	
18-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि तहसीलदार इन्दरगढ़ की बटवारा प्रस्ताव पूर्व में ही पत्रांक भू.अ./2025/2699 दिनांक 11-7-2025 से इस न्यायालय को प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है उक्तानुसार वादी अधिवक्ता को अवलोकन कराया गया प्रतिवादी अधिवक्ता स-7 को भी अवलोकन कराया गया उक्त अधिवक्ताओं द्वारा किये गये बटवारा पर सहमति दी गई। अतः बटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। वास्ते अंतिम डिक्री जारी होने पत्रावली आगामी दिनांक 4-3-2026 को पेश हो।
4-3-26	पत्रावली पेश हुई वादी व प्रतिवादी स.7 के अधिवक्ता उपस्थित बटवारा ~~कमिश्नर~~ TPR इन्दरगढ़ के बटवारा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई बटवारा अनुसार विवादित आराजी ख.न. 110 रकबा 0.03 हेक्टेयर ख.नं. 131 रकबा 0.55 हेक्टेयर ख.न. 586 रकबा 0.52 हेक्टेयर किता 3 योग रकबा 1.10 हेक्टेयर वाके ग्राम भौगाडा तहसील इन्दरगढ़ में स्थित कृषि भूमि में से ख.न. 586 रकबा 0.52 हेक्टेयर में से वादीगण 1 लगायत 3 का ख.न. 586/2 रकबा 0.26 हेक्टेयर पूर्व की तरफ नक्शा स्केच के अनुसार रहेगा एवं ख.न. 586/1 रकबा 0.26 हे. प्रतिवादी स.7 बरषा के हिस्सा में रहेगा।

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
शेष खसरा सं. 110 रकबा 0.03 हैक्टेयर ख.सं. 131 रकबा 0.55 हैक्टेयर किता-2 योग रकबा 0.58 हैक्टेयर कृषि भूमि. प्रार्थीगण के हिस्से में हिस्से अनुसार. यथावत दर्ज रिकार्ड रहेगी। पत्रावली पर अन्य शेष कार्यवाही नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तादाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी............ मुकाम.............लाखेरी व इजलास........श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)..
....

छोटीबाई पत्नि स्व0 नन्दकिशोर जाति गुर्जर निवासी ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 —वादी	बनाम	1 कृष्ण मुरारी आ0 गंगाबिशन जाति गुर्जर निवासी नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी —प्रतिवादीगण

वाद बाबत 53,188आर0टी0एक्ट

सन् ....

मुकदमा नम्बर ....31/दावा/2021.........................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे................. व हाजिरी .... श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट,.......मिनजानिब मुद्दई रूबरू......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि—

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर तहसीलदार इन्द्रगढ़ कि रिपोर्ट के विवादित अराजी ख0सं0 110 रकबा 0.03 हैक्टर, ख0सं0 131 रकबा 0.55 हैक्ट0, ख0सं0 586 रकबा 0.52 हैक्ट0 किता 3 योग रकबा 1.10 हैक्टर वाके ग्राम नौताडा तहसील इन्द्रगढ़ मे स्थित कृषि भूमि में से ख0सं0 586 रकबा 0.52 हैक्ट0 में से वादीगण 1 लगायत 3 का, ख0सं0 586/2 रकबा 0.26 हैक्ट0 पूर्व की तरफ नक्शा ट्रेस के अनुसार रहेगा एंव ख0सं0 586/1 रकबा 0.26 हैक्ट0 प्रतिवादी संख्या 7 बरधा के हिस्से में पश्चिम की तरफ रहेगी। शेष ख0सं0 110 रकबा 0.03 हैक्ट0, ख0सं0 131 रकबा 0.55 हैक्ट0 किता 2 योग रकबा 0.58 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 एंव 9 लगायत 11 के हिस्से में जमाबन्दी में दर्ज हिस्सेनुसार यथावत रहेगी। बंटवारा नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। बैंक रहन बदस्तूर जमाबन्दी रहेगा।

....खर्चा इन

निज................................मुबलिग...बाबत..

....फीसदी सालाना आज की तारीख से

मुकदमें के मय सूद बशरह ....

तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **04 माह 03 सन् 2026** को

जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1 स्टाम्प अर्जीदावा			1 स्टाम्प अर्जीदावा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अर्जी		
3 स्टाम्प बाबत सबूत			3 महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खर्चा गवाहान		
5 खर्चा गवाहान			5 फीस कमिश्नर		
6 फीस कमिश्नर			6 बाबत इजराय हुक्मनामा		
7 बाबत इजराय हुक्मनामा			7 मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner